जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान, उत्तराखण्ड
के

अनुदान/राजसहायता कार्यक्रमों के कियान्वयन की रीति, जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थी ब्यौरे सम्मिलित हैं –

(The manner of execution of subsidy programmes, including the amounts allocated and the details of beneficiaries of such programmes)

जड़ी बूटी के कृषिकरण को प्रोत्साहित करने हेतु वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त शाखा, उद्यान, देहरादून उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत संख्या 848/XVI/05/6(122)/05 दिनांक 03 अगस्त, 2005 केत तहत उत्तराखण्ड राज्य में औषधीय एवं संगध पादपों का कृषिकरण करने वाले पंजीकृत कृषकों को विभिन्न राजकीय योजनाओं यथा हार्टिकल्चर टैक्नोलॉजी मिशन, राष्ट्रीय औषधीय पादप मिशन, जलागम प्रबन्ध योजनाओं आदि के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के अनुदान की व्यवस्था की गयी हैं साथ ही विभिन्न औद्यानिकी विकास कार्यक्रमों में भी राज्य सरकार द्वारा 50 प्रतिशत अनुदान प्रदत्त किये जाने की व्यवस्था भी की गयी है, निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, चौबटिया रानीखेत, अल्मोडा के माध्यम से प्रदान की जाती है।

उद्यान एवं रेशम अनुभाग–2, उत्तरखण्ड शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या–848/XVI/05 /5(122)/05 दिनांक 30 अगस्त, 2005 के द्वारा प्रदेश में जडी–बूटी के कृषिकरण को प्रोत्साहित करने हेतु जडी–बूटी के पौधारोपण सामग्री–निवेशों आदि पर जडी–बूटी कास्तकारों को 50 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाता है। अनुदान की पात्रता रखने वाले कृषकों को अनुदान तब ही अनुमन्य होगा जिसके नाम पर भूमि होगी तथा चिन्हित केवल 26 प्रजातियों का कृषिकरण आरम्भ करने के पश्चात ही देय होना विदित है। अनुदान मुख्य रूप से रोपण सामग्री (पौध/बीज/कटिंग) 3 या 5 नाली के रूप में दिया जायेगा। प्रत्येक प्रजाति हेतु अनुदान उस प्रजाति के कृषिकरण पर होने वाली लागत के अनुसार निर्धारित किया जाना है। उक्त 26 जड़ी बूटी प्रजातियों के कृषिकरण आरम्भ करने हेतु इस स्तर से कृषकों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। लाभार्थियों की सूची उक्त प्रक्रियाओं के संपन्न किये जाने के उपरान्त ही तैयार की जानी संभव होगी।